पत्र सं०-एम-4-35/2013.../1852../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

एच०आर० श्रीनिवास,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 16/12/14

विषय :- राज्य सरकार के अधीन नियमित वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवकों को आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के माध्यम से गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

राज्य सरकार के सेवी वर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0 420 दिनांक 21.01.2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22.05.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है । वर्तमान में सरकार के कर्मियों को 7.50 लाख रूपये की सीमा तक अथवा अपने वेतन का 60 गुणा, दोनों में जो कम हो को राज्य सरकार से ऋण प्राप्त होता है । यह राशि आज की परिस्थिति में अत्यंत कम है । साथ ही चालू व्यवस्था के तहत अत्यंत सीमित संख्या में सरकारी कर्मियों को वित्त विभाग के द्वारा केन्द्रीयकृत तरीके से ऋण मिल पाता है ।

2. राज्य सरकार के सेवी वर्ग को पूर्व में राष्ट्रीयकृत बैंकों से गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराने हेतु समझौता किया गया था । मंत्रिपरिषद् की पुनः प्राप्त स्वीकृति के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं० 2251 दिनांक 07.03.2014 द्वारा गैर सरकारी शिड्यूल्ड बैंकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है । इसी आलोक में ICICI बैंक जो यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैक है, से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त समझौता किया गया है जिसके मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं :-

(i) बैंक के द्वारा जिस न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है वह बैंक का base rate है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाता है । राज्य सरकार के सेवाकर्मी को आय के आधार पर 75 लाख रूपये तक के गृह निर्माण ऋण का भुगतान base rate+15bps पर किया जाएगा। यदि base rate में परिवर्तन होगा तो तदनुसार interest rate भी घट-बढ़ सकता है ।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मी जो राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों में नियमित वेतनमान में कार्यरत हो एवं 25 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से जिला के मुख्यालय में अवस्थित शाखा बैंक में ऋण के लिए आवेदन देगा और उसे उसकी भुगतान क्षमता एवं 35 वर्षों की बची हुई सेवा अथवा सेवानिवृति दोनों में से जो पहले हो, के आधार पर बैंक ऋण देगा ।

Pramod\Sec-4\page-2

(iii) राज्य सरकार की भूमिका मात्र एक मददगार (Facilitator) की होगी जिसमें सेवा कर्मी का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैंक की इस शर्त को सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक माह के वेतन से बैंक द्वारा निर्धारित EMI को बैंक के loan account में जमा हो । इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मी/पदाधिकारी को जिस बैंक से वेतन भुगतान किया जायेंगा उस बैंक के माध्यम से ऋण देनेवाले बैंक में जमा की जाएगी । सरकारी सेवक के स्थानांतरण की स्थिति में उसको निर्गत होने वाले Last Pay Certificate में अनिवार्य तौर पर बकाये ऋण का उल्लेख किया जाएगा ताकि स्थानांतरित पद पर योगदान के बाद संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भी नियमानुसार EMI की कटौती बैंक में भुगतान कराया जाना सुनिश्चित हो ।

(iv) यदि ऋण को चुकता करने के पूर्व सेवाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो एकरारनामा के अनुसार Leave encashment की राशि तथा भविष्य निधि/Gratuity की राशि से एकमुश्त उतनी राशि बैंक को स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

(v) यदि फिर भी कोई राशि बच गई तो बैंक बनने वाले घर/फ्लैट के equitable mortgage से राशि की वसूली करने में सक्षम होगा ।

(vi) राज्य सरकार के सेवी वर्ग इस योजना के तहत जमीन क्रय कर मकान बनाने/मकान क्रय किये जाने/फ्लैट क्रय करने/मकान की मरम्मती/मकान के वृहद्दीकरण हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

कंडिका 2(iii) का अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

3. अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों/शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों एवं गैर सरकारी शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों से भी यदि तद्नुसार प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उनसे एकरारनामा करके इसकी सूचना दी जाएगी और सरकारी कर्मी उनसे भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी अपने अधीनस्थ सभी सरकारी सेवकों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी जाय ।

[redacted]

विश्वासभाजन,

16/12

(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (व्यय)
15/12